



दीनद्याला उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2021/विस्तरण (147)/ 3086

दिनांक : 20/05/2022

सेवा में

प्रबन्धक/प्राचार्य,

Swargeeya Ram Rahasya Mahavidyalaya, Singhpur, Chaurichaara,

विषय : B.A.- Education, Geography, History, Home Science, Hindi, Political Science, Sociology, B.Com. विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/गहोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में जवागत करा गया है कि ननीय का परिषद द्वारा स्वीकृति ग्रे प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन सम्बद्धता समिति ने माननीय कार्यपालिका की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्तपोर्ति योजनागत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत रूपांतर विषयों/पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सभा 2022-23 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने की संस्तुति की है।

रामबद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर Swargeeya Ram Rahasya Mahavidyalaya, Singhpur, Chaurichaara, को शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रमों (B.A.- Education, Geography, History, Home Science, Hindi, Political Science, Sociology, B.Com.) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तरण प्रदान की जाती है—

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कियो— अन्य कमियां विद्यमान होने एवं महाविद्यालय द्वारा स्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत न होने के कारण अनापत्ति आदेश में इंगित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अपैय माना जायेगा। शासनादेश के अनुसार स्थाई सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही महाविद्यालय को स्थाई सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रबन्धकों वाले कार्यभार प्र०, कार्यभार प्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा या जायेगा तथा इनका वैक के माध्यम से वेतन भुगतान वा या जाना निश्चित या जायेगा।
3. संथा शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92), 2002 दि कि 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेंगी।
4. रिट यायिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु नानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कठिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसंचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं रखा जाए, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत रास्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशो न) अध्यादे 2003 द्वा, मूल अधिनियम 1973 की धारा 3.(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी नियमित मानव। को पूर्ण रूप लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों न प्रवेश प्राप्तिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश करायी नहीं रखी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेंगी।
11. संस्था परिसर को रंगिग मुक्त रखेंगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक विलङ्घन नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कानूनाही की रखेंगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0-स0एच0ई0 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा रु. 100एफ0-11 का फार्म पूरित कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लाने की नियमानुसार वाली रायही की रखेंगी।

भवदीय,

विशेषवर प्रसाद
कुलसंचिव

पृष्ठाकांक संख्या: सम्बद्धता/2022/147/ तददिनांक |

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोप्यपुर। (3). अधिकारी, कला, वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रण/प्रभारी/अधीक्षक, परीक्षा सामाजिक अनुभाग। (4). प्रभारी/अधीक्षक, कनेटी को इस आशय कुलपति को सूचनार्थ। (5). गाड़ कार्फ्ट (सम्बद्धता)।

कुलसंचिव